कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/सतर्कता/तालाबंदी–I/2019–20 दिनांक 27.06.2019

परिपत्र

प्रायः यह देखने आया है कि ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों के पुनः प्रारंभ होते ही, कतिपय ग्रामों/स्थानों पर स्थानीय निवासी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय विद्यालय के समक्ष धरना–प्रदर्शन करते हैं। कुछ मामलों में विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर देते है, जिससे न केवल विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है साथ ही विद्यालय का नामांकन भी घटता है, जो स्थानीय बालकों के भयमुक्त वातावरण में अध्ययन में अवरोध है और राजकीय कार्य में बाधा है।

अगर कोई मांग अथवा शिकायत विद्यालय से संबंधित हो तो सक्षम स्तर पर अपना ज्ञापन/प्रार्थना पत्र देना चाहिये। ऑनलाईन परिवेदना के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर विभागीय पीईईओ, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशालय स्तर पर सतर्कता सैल इस हेतु गठित है। परन्तु इनके द्वारा उचित स्तर पर अपना ज्ञापन न देकर, विद्यालय में तालाबंदी करना न केवल विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वरन् राजकार्य में जानबूझ कर उत्पन्न अवरोध है।

ऐसे प्रकरणों में संस्था प्रधान को उनसे वार्ता करने/समझाने के बाद भी बाधा दूर न होने पर स्थानीय थाने के थानाधिकारी से वार्ता कर एफ.आई.आर की कार्यवाही करनी चाहिये। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ऐसी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर, ऐसे स्थानों पर तत्काल उपस्थित होकर न केवल तालाबंदी खुलवा कर शिक्षण सुचारू कराऐंगे साथ ही कानूनी कार्यवाही भी करवाना सुनिश्चित कराऐंगे। निदेशालय को प्रतिदिवस भेजी जानी वाली तालाबंदी की सूचना के साथ इस हेतु दायर की गई एफ.आई.आर का विवरण भी भेजा जाना जिला शिक्षा अधिकारी को सुनिश्चित करना है।

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 समस्त जिला कलक्टर को जिले में ऐसे प्रकरणों में स्थानीय सहयोग के निर्देश प्रदान कराने हेतु प्रेषित है।
2 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाअधिकारियों को निर्देशित कराने एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु।
3 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक।
4 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पालनार्थ।
5 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6 समस्त पीईईओ एवं संस्था प्रधान।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर